R 597-I/08   Rs 151/-

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२००८ पुनरीक्षण.

प्यारेलाल पुत्र श्री घसीटे, आयु ६० वर्ष,
निवासी ग्राम सुकवा, तेहसील व जिला
छतरपुर म०प्र०   ---आवेदक.

वनाम.

१) मथुरा पुत्र श्री हल्काई काछी, आयु ५५ वर्ष,
निवासी ग्राम सुकवा, तेहसील व जिला
छतरपुर म०प्र०   --- अनावेदक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता.
विरुद्ध आदेश दि० ७-११-०७ पारित द्वारा श्रीमान्
अपर आयुक्त सागर संभाग सागर, प्रकरण क्रमांक ३७अ।१
X ०६-०७ वउनवान प्यारेलाल वनाम मथुरा

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ३१४६।५ रकवा ७-५० एकड़ भूमि स्थित ग्राम सुकवां, तेहसील व जिला छतरपुर पर आवेदक अपने पूर्वजों के समय से निर्विवाद रूप से काविज होकर कृषि करता चला आ रहा है । जो कि म०प्र० भू-राजस्व १९५९ लागू होने केपूर्व १९४६-४७ से कृषि कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है और शासकीय अभिलेख में नाम अंकित था । जिसे विना किसी सक्षम अधिकारी केआदेश के आवेदक का नाम निरस्त कर दिया।आवेदक को जानकारी होने पर

---२

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 597–एक/2008 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित. अनावेदक की और से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित. यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, द्वारा अपील प्रकरण क्रमाक 37/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 7–11–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. 2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैकि आवेदकगण द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 3149/5 रकबा 7.50 एकड स्थित ग्राम सुकवा पर अपने पिता, दादा, परदादा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होने तथा पिछले 100 वर्षो से अधिक समय से आधिपत्यधारी होने के कारण भूमि स्वामी घोषित करने के लिये उपबन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे उपबन्दोबस्त अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया. उप बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक मथुरा द्वारा अपर कलेक्टर जिला– छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 30–7–2007 को स्वीकार की जार उप बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 23–12–1990 को	

निरस्त करते हूए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि ग्राम– सुकवा की भूमि सर्वे कमांक 3149/5 रकबा 2.045 हेक्टेयर पूर्ववत मध्यप्रदेश शासन कदीम चरनोई रिकार्ड में अमल कराई जाये तथा भूमि सर्वे कमांक 3149/5 रकबा 1.21 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकारों को समुचित सुनवायी के पश्चात दस्तावेजी साक्ष्य के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करे. प्रकरण प्रत्यावर्तन के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा सुनवायी करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 14–08–2006 के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण की और से अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 7–11–2007 के द्वारा निरस्त की गयी. उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

3. उभंय पक्षों के अभिभाषकों के तर्को को श्रवण किया गया. आवेदक गण के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित आधारों पर ही जोर दिया गया तथा वर्तमान निगरानी आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में निवेदन किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना

करने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है जो कि विधि सम्मत है. आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो कि प्रचलन योग्य ही नही थी. अपर आयुक्त ने सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त ही आवेदकगण की अपील को निरस्त किया गया था इस कारण से भी उपरोक्त आदेश अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित होने से निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

4. उभय पक्षों के तर्को एवं प्राप्त अभिलेखों का मेरे द्वारा मनन किया गया. उपरोक्त के परिशिलन से मे यह पाता हूँ कि उप बन्दोस्त अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा अपने आदेश द्वारा विस्तृत जॉच करने के उपरान्त निरस्त किया गया था तथा भूमि को शासकीय अंकित करने के निर्देश दिये गये थे उक्त आदेश को आवेदकगण की और से कोई चुनौती नही दी गयी. अपर कलेक्टर के आदेश के पश्चात शेष बचे भाग के सम्बन्ध में अनुंविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात तथा उनके समक्ष उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया था. अपर आयुक्त ने भी सम्पूर्ण तथ्यों पर विचा करने के उपरान्त उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया है. प्रकरण के अभिलेख के अवलोकन

से यह भी पाता हूँ कि आवेदकगण की और से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा —57 (2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे उनके द्वारा निरस्त किया गया है. अतः 57(2) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष की जाना चाहिये थी ऐसा न करके सीधे अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी इस प्रकार से भी आवेदक किसी प्रकार की राहत पाने का कोई अधिकारी नही है. अतः मैं उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह निगरानी आवेदन पत्र में किसी प्रकार कोई बल न होने से तथा अधिनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही एवं किसी प्रकार की कोई अनियमितता न होना पाता हूँ.

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है. अधिनस्थ अपर आयुक्त सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश स्थिर रखे जाते है. उभय पक्ष सूचित हो. अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति संलग्न कर वापस किया जाये. तथा प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य